।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर।

F 14 (Road) 2017/FCA/PCCF/ CCF EDS –I Dated 8.8.2017

Project Director (PPP II), PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN JAIPUR के द्वारा नागौर जिले के वनमण्डल नागौर में **Development of Nagaur-Tarnau Road, Section of SH-19 from km 0.000 to km 39.688, in the state of Rajasthan** के निर्माण कार्य हेतु 57.778 हेक्टयर वन क्षैत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/21182/2016 पर रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा पार्ट ।, ।। एवं ।।। की पूर्ती किये जाने निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है :–

1. प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या A-3 (xvii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के आदेश की प्रति में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित नही है।
2. प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या C-iv में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अपलोड किये गये DGPS/Total station map में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सभी कानर्स के जी0पी0एस0 कोर्डीनेटस दिया जाना है।
3. प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा Undertaking संलग्न की गई है। जबकि हार्ड प्रति में जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र (बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नही) संलग्न किया गया है।
4. पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 13 (i) में संलग्न KML file सही नही है निम्नानुसार सुधार किया जाना है।
    1. मालपुरा कांटली (61 है0) बताया गया है जबकि 57.778 है0 दर्शाया गया है।
    2. टोंक (एरिया ओवलेप होने के कारण क्षैत्रफल की गणना नही) के कारण सही नही है।
    3. प्रोटेक्टेड क्षैत्र का नाम अंकित किया जाना प्रस्तावित है।
5. उप वन संरक्षक नागौर द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की योजना संलग्न की गई है। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण टोक वनमंडल द्वारा किया जाना है अतः क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना उप वन संरक्षक टोंक के द्वारा दी जानी प्रस्तावित है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण का DGPS map के स्थान पर गूगल मेप एक स्थान का लगाया गया है DGPS map (for two plantation) में शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर किये गये हो, संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण का GT Sheet में एक ही स्थान की संलग्न की गई है जबकि वृक्षारोपण स्थल दो है। Gt Sheet (for two plantation) में शीर्षक, तालिका एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर किये गये हो, संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
8. उप वन संरक्षक टोंक द्वारा दिये गये स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में दोनो वृक्षारोपण का क्षैत्रफल बिन्दु संख्या 13 में दिये गये दस्तावेजों के अनुरूप नही है साथ ही उक्त भूमि गैर विवादित है इस आश्य का भी प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जावे।
9. उप वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रत्यावर्तित वन क्षैत्र की विधिक स्थिति का उल्लेख नही किया गया है।
10. उप वन संरक्षक द्वारा चेनऐ
11. चेन ऐज वाइज वृक्षों की सूची (मय वैज्ञानिक नाम) ऑनलाईन (हार्ड प्रति में संलग्न) संलग्न नही की गई एवं उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये है। साथ ही संलग्न सूची दी गई सूची से मिलान नही कर रही है।

12. मुख्य वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रत्यावर्तित वन क्षैत्र की विधिक स्थिति का उल्लेख नही किया गया है। एवं निर्धारित प्रपत्र में पार्ट ।।। संलग्न नही किया गया है।
13. प्रस्ताव में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है किन्तु इसमें इंडेक्सिंग, ऑनलाईन प्रस्ताव में संलग्न किये पूर्ण दस्तावेज, हार्ड प्रति पर अधिकृत अधिकारी/उप वन संरक्षक के हसताक्षर (मय नाम, पद दिनांक एवं मुहर) नही है।
14. प्रसताव को ऑनलाईन करते समय मूल दस्तावेज से ऑनलाईन करे साथ ही तीन हार्ड प्रति (एक मूल एवं दो फोटो प्रति) प्रस्तुत की जानी है।

उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव यूजर एजेन्सी को लौटाया जाना प्रसतावित है सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक अजमेर को निर्देशित किया जाता है।

8/8/17
(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR